#OPERATIONCONVICTION

#AMETHIPOLICE

METICULOUS INVESTIGATION & PROSECUTION

एडीजीसी श्री शिव कुमार सिंह

पैरोकार का0 जंगबहादुर यादव

पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 महोदय द्वारा चलाये जा रहे operation conviction अभियान के अन्तर्गत चिन्हित मिशन शक्ति के अभियोग में अमेठी पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप दुष्कर्म के अभियुक्त को मा0 न्यायालय द्वारा 07 वर्ष का कठोर कारावास तथा 15000 रूपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

अपराध का विवरण:-

सादर अवगत कराना है कि वादिनी मुकदमा की तहरीरी सूचना के आधार पर दिनांक 10.04.2011 समय 07.00 बजे अभियुक्त द्वारा वादिनी की पुत्री को बहला फुसला कर भगा ले जाना तथा उसके साथ जबरन दुष्कर्म करने तथा जान से मारने की धमकी देने पर मु0अ0सं0 170/2011 धारा 363, 366, 376, 506, 323 भादवि थाना अमेठी जनपद अमेठी पर पंजीकृत किया गया था।

इस अभियोग में स्थानीय पुलिस व मॉनीटरिंग सेल द्वारा माननीय न्यायालय सुलतानपुर में सशक्त प्रभावी पैरवी की गयी एवं अभियोजन की कार्यवाही समयबद्ध करायी गयी जिसके फलस्वरूप दिनांक 31.06.2026 को माननीय न्यायालय एएसजे/एफ0टी0सी-प्रथम सुलतानपुर द्वारा अभियुक्त को *07 वर्ष का कठोर कारावास तथा 15000 रूपये के अर्थदण्ड की* सजा सुनाई गयी। अभियुक्त को सजा दिलाने में अभियोजन अधिकारी व पैरोकार का सराहनीय योगदान रहा।

सजा का विवरण:-

- अभियुक्त को *07 वर्ष का कठोर कारावास की सजा।*
- *अभियुक्तों को 15,000/- रुपये अर्थदण्ड, अर्थदण्ड अदा न करने 15 दिवस का अतिरिक्त कारावास की सजा।*

दोषसिद्ध अभियुक्त का नाम व पता:-

- **इलियास पुत्र कमरूद्दीन निवासी तोपखाना रामपुर थाना व जनपद अमेठी।**

@amethipolice

सोशल मीडिया सेल अमेठी